Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LV (55), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जाति क्षेत्रों में महिला उद्यमिता विकास एवं जागरूकता का मूल्यांकन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मीना पाराशर* निक्की अहिरवार**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) श्री सत्य सांई महिला महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) बरकातुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वास्तव में मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है न कि आवाधिक। यह मूल्य निर्धारण अथवा उपलब्धियों को जानने में सहायक होता है। यह उद्देश्यों को तय करने, संप्राप्ति की जाँच, विसंगतियों में सुधार की भूमिका निभाता है। साथ ही समाज को (योजना) के ढाँचे, समझने, जानने, उपयोग, लाभ लेने के लिए उत्तरदायित्व को भी बताता है। शोध कार्य में आपेक्षित सूचनाओं में विभेदीकरण, वर्गीकरण करने हेतु मापन का भी सहारा लिया है। मूल्यांकन एवं मूल्य निर्धारण का घनिष्ठ संबंध है। मूल्य निर्धारण का अर्थ है, वे प्रक्रियायें और सामग्री जो संप्राप्तियों को मापने हेतु व्यवहार में लायी जाती हैं, अथवा संक्षेप में कह सकते हैं, कि किये गये कार्य को समंक देना। इस प्रकार मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण और मापन सम्मिलित होते हैं। यह मूल्य निर्धारण और मापन से अधिक विस्तृत एवं समावेशी क्रिया है। राज्य सरकार की प्रत्येक योजना उपयोगी और महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी सत्य है कि अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिलाओं के आर्थिक विकास (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष) से संबंधित अनेक योजनायें संचालित है। जिन सबका मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन है। वहीं छिंदवाड़ा जिले की तहसीलों में से प्रमुख तहसीलों के 10-10 गाँवों का सर्वेक्षण कर विभिन्न योजनाओं को मूल्यांकित किया है।

शब्द कुंजी –आर्थिक विकास, उद्यमिता जागरूकता, शासकीय योजनायें, मूल्यांककन।

राज्यर शासन की योजनाओं का मूल्यांकन –अध्ययन क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में राज्य शासन द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास, दिव्यांग, व्यवसाय, उद्योग, जाति, आँगनवाड़ी तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित अनेक योजनायें संचालित हैं। उक्त, योजनाओं के साथ-साथ शासन की अन्य क्षेत्र की 66 योजनाओं को भी मूल्यांकन में समाहित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान यह महसूस किया कि योजना की सुविधायें संबंधित को प्रदान करने के लिए विभाग तैयार है, लेकिन पात्र नहीं है। इस बात को व्यवहारिक रूप से भी समझा जा सकता है, कि सब कहीं अथवा प्रत्येक परिवार में प्रत्येक योजना का पात्र अथवा लाभार्थी हो, यह सम्भव नहीं है। सभी वर्ग की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, पात्र को योजना का लाभ मिलता है। किन्तु जो पात्र नहीं है, उसे लाभ कैसे मिलेगा ?

एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है, कि जैसे शिक्षा से संबंधित नि:शुल्क गणवेश, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नि:शुल्क साइकिल, कन्या छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का लाभ शत्-प्रतिशत् हितग्राहियों को मिल रहा है। इसी प्रकार से सभी क्षेत्र की योजनाओं का लाभ संबंधित को प्राप्त होता है, परन्तु शर्त यही है, कि हितग्राही के पास योजना से संबंधित पात्रता होना चाहिए।

आर्थिक आधार पर मूल्यांकन – शासन की कोई भी योजना हो, योजना का संबंध किसी भी क्षेत्र से हो किन्तु अंतत: प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरोकार, आर्थिक विकास से है। योजनाओं की सरितायें अंत्तोगत्वा आर्थिक विकास रूपी समुद्र में समाहित होकर उसका कलेवर धारण करती है। आज आर्थिक विकास का दायित्व केवल पुरुषों तक ही नहीं है। इस क्षेत्र में महिलायें भी जोश-खरोश के साथ आगे आ रही हैं, सफलता प्राप्त करके विकास की दौड़ में अग्रसर हैं। महिलाओं की आर्थिक विकास की कीर्ति गाथा मीडिया, साहित्य, समाज में व्याप्त है। शासन ने भी इनके बुलन्द इरादों को योजनाओं की सौगात देकर सजाया और संवारा है। प्रत्येक महिला आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दे रही है, इसका जीता-जागता परिदृश्य अध्ययन क्षेत्र (छिंदवाड़ा जिला) में उपस्थित है। व्यवसाय क्षेत्र की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वैभव लक्ष्मी योजना, महिला 'ई' हॉट योजना, सिंड महिला शक्ति योजना, कृषि क्षेत्र की भागीदारी योजना, बलराम ताल योजना, गैर कृषि विकास में महिला सहायता योजना, अन्नपूर्णा योजना, ओरियन्टल महिला विकास योजना, भारतीय महिला बैंक व्यावसायिक ऋण योजना, देना शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना, महिला उद्यम निधि योजना के साथ-साथ स्थानीय कार्यक्रमों का प्रभाव रोजगार, व्यवसाय, कृषि, वनोपज संग्रहण आदि में परिलक्षित है।

अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण में यह तो पाया गया कि राज्य शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को किसी क्षेत्र में ज्यादा तो किसी क्षेत्र में आंशिक रूप से प्राप्ति हो रहा है। किन्तु जिन क्षेत्रों में लाभ का प्रतिशत अधिक है ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दें तो फिर यह प्रश्नो भी उठता है कि फिर अन्य क्षेत्रों की महिलायें आर्थिक स्वावलम्बन हेतु संचालित शासन की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं ले पा रही हैं ? इसके पीछे उनके परिवार की भूमिका स्पीष्ट रूप से परिलक्षित होती है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की वे महिलायें जो घर के दैनिक कार्यों एवं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं उन्हें उद्यमिता एवं

व्यवसाय के संबंध में या तो जानकारी नहीं होती अथवा वे अपने कौशल का प्रयोग परिवार के भय के कारण नहीं करती। और यदि वे किसी तरह आर्थिक स्वावलम्बन हेतु किसी भी प्रकार का उद्यम या व्यवसाय प्रारम्भ करती हैं तों उन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता।

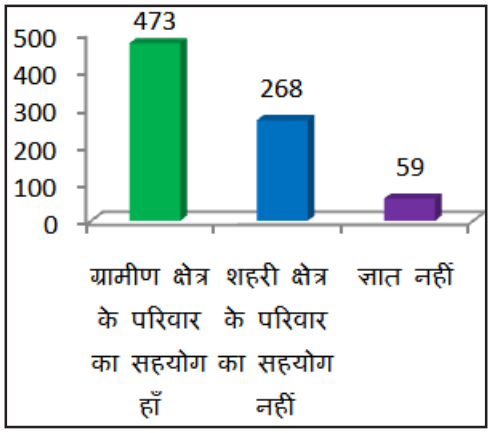
तालिका 1 – छिंदवाड़ा जिले की तहसीलवार अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को उद्यमिता एवं व्यिवसाय हेतु परिवार के सहयोग की स्थिति।

(प्रतिशत में)

तहसील का नाम	उत्तरदाता	ग्रामीण क्षेत्र के परिवार का सहयोग हाँ	शहरी क्षेत्र के परिवार का सहयोग नहीं	ज्ञात नहीं	योग
छिंदवाड़ा	184	115	44	25	184
अमरवाड़ा	106	67	23	16	106
हर्रई	71	57	11	3	71
जुन्नारदेव	90	71	14	5	90
चौंरई	62	24	31	7	62
तामिया	49	13	36	0	49
परासिया	69	47	21	1	69
चाँद	57	19	36	2	57
उमरेठ	53	21	32	0	53
मोहखेड़	59	39	20	0	59
योग	800	473	268	59	800

स्रोत – प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त आंकड़े।

दण्डा रेख



उपरोक्त आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि छिंदवाड़ा जिले की 10 तहसीलों में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में से शहरी क्षेत्र की 473 (59.12%) का मानना है कि उद्यमिता एवं व्यतवसाय हेतु उनके परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। किन्तु 268 (33.5%) ग्रामीण महिलाओं का मत है कि उनके परिवार के सदस्य उद्यम करने में सहयोग प्रदान नहीं करते। साथ ही 59 (7.37%) महिलाओं ने परिवार के सहयोग/असहयोग की अनभिज्ञता जाहिर की।

तालिका 2– छिंदवाड़ा जिले की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं का आर्थिक आधार पर मूल्यांकन

(विवरण/प्रतिशत में)

क्रं.	मूल्यांकन का आधार	तहसील का नाम/उपलब्धि स्तर										औसत
		1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	योग
1	रोजगार [1]	40	26	18	20	28	24	30	20	11	09	23
2	व्यवसाय [2]	10	14	16	12	16	14	18	12	10	14	14
3	धंधा [3]	08	10	04	04	06	04	06	06	07	04	6
4	उद्योग [4]	04	06	02	02	04	04	06	04	09	03	4
5	कृषि [5]	16	20	22	20	22	24	28	22	19	14	21
6	स्वसहायता समूह	06	04	06	06	08	04	10	06	05	04	6
	औसत योग	14	13	11	11	14	12	16	12	10	8	

स्रोत: – अध्ययन क्षेत्र का भ्रमण, न्यादर्श सम्पर्क, अवलोकन, उपकरण परिशिष्ट

संकेत: (1) तहसीलों के नाम (*1 छिंदवाड़ा,*2 परासिया, *3 अमरवाड़ा *हर्रई, *5 तामिया, *6 जुन्नातरदेव,*7 चौरई, *8 मोहखेड़, *9 उसरेठ,*10 चाँद)

(2). नौकरी (शासकीय, निजी), मजदूरी (कुशल/अकुशल)

(3). दुकान, जलपान गृह, एजेंसी, हॉटल, भोजनालय, ठेकेदारी, फेरी

(4). टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, लान्ड्री, वनोपज संग्रहण

(5). लघु एवं कुटीर उद्योग, गृह उद्योग बड़ी, पापड़, आचार बनाना, बेकरी, पशु आहार, निर्माण, फेक्ट्री, फ्लोर मिल, आयल मिल, धानी, दोना पत्ताल बनाना, रेडीमेड, मसाला निर्माण, इकाई, दाल मिल।

(6). कृषि व्यवसाय, पशुपालन (बकरी, गाय, भैंस, भेड़), मुर्गीपालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कोशा पालन, औषधि कृषि, फूलों की कृषि, उद्यानिकी, सब्जी की कृषि।

आर्थिक सुधार की स्थिति को यहां चतुर्थक विचलन गुणांक विधि से परीक्षण कर मूल्यांकन कर राज्य सरकार की योजनाओं का महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है–

तालिका 3 –आर्थिक आधार पर मूल्यांयकन तहसीलवार

क्रं.	मूल्यांआकन का आधार क्षेत्र	उपलब्धि स्तर (X)	संचयी आवृत्ति (c.f)
1	छिंदवाड़ा	14	14
2	परासिया	13	27
3	अमरवाड़ा	11	38
4	हर्रई	11	49
5	तामिया	14	63
6	जुन्नारदेव	12	75
7	चौरई	16	91
8	मोहखेड़	12	103
9	उसरेठ	10	113
10	चाँद	8	121
	योग	121	

परीक्षण की विधि – चतुर्थक विचलन –

$Q_1 = \frac{(N=1)}{n}$ वें पद का आकार $Q_3 = \frac{\{3(N=1)\}}{4}$ वें पद का आकार

$Q_1 = \frac{N+1}{4} = \frac{10+1}{4} = \frac{11}{4} = 2.75$ $Q_3 = \{\frac{3(10+1)}{4}\} = \frac{33}{4} = 8.25$

$Q_1 = 38$ $Q_3 = 103$

चतुर्थक विचलन $= \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{103-38}{2} = 32.5$

चतुर्थक विचलन गुणांक–

$$= \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} = \frac{103-38}{103+38} = \frac{65}{141} = 0.46$$

निष्कर्ष – छिंदवाड़ा जिले की 10 तहसीलों में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक सुधार में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। चतुर्थक विचलन गुणांक का परिणाम 0.46 धनात्मक प्राप्त हुआ है। अत: यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, तथा राज्य शासन की योजनाओं का महिलायें अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर रही हैं।

राज्य सरकार की योजनाओं का आर्थिक आधार पर छिंदवाड़ा जिले के संदर्भ में मूल्यांकन कर तालिका में समाहित किया है। जिसमें प्रत्येक जिले का परिदृश्य रोजगार, व्यवसाय, धंधा, उद्योग, कृषि तथा स्व सहायता समूह के परिपेक्ष्य में पृथक-पृथक है। स्थिति लगभग उन्नीस-बीस है। ऐसा लगता है कि राज्य शासन के प्रयास सब कहीं एक से है, लेकिन परिस्थितियाँ उन्हेंर प्रभावित कर रही हैं। उद्योग संबंधी योजनाओं का लाभ सबसे कम लोगों तक पहुँच रहा है। वहीं रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग का क्षेत्र नगरों, कस्बा बस्तियों तक सीमित है। जबकि मजदूरी और कृषि की उपलब्धता सर्वत्र है।

सामाजिक आधार पर मूल्यांकन – शासन की योजनायें समाज को नया रूप, नया सोचने, नये करने की शक्ति और हौंसला देता है। महिलाओं की स्वतंत्रता, शक्ति, सशक्तिकरण, प्रतिबंधों, परिवर्तन, मेल-मिलाप, फैशन निर्णय, सामाजिक हैसियत के संदर्भ में मूल्यांकन करके स्थिति को ज्ञात करना है, जैसे-

तालिका 4 – छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन

(विवरण/प्रतिशत में)

क्रं.	मूल्यांकन सामाजिक बिंदु	तहसील का नाम/उपलब्धि स्तर									
		1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*
1	सामाजिकप्रतिबंधोंमे	30	24	26	16	22	20	24	24	19	12
2	व्याक्तिगत स्वतंत्रता	32	38	28	28	24	27	24	28	21	23
3	पारिवारिकनिर्णयो मे महिलाओंकी भूमिका	30	30	20	32	15	19	11	18	15	18
4	सामाजिकस्थिति मे महिलाओंकी भूमिका	36	36	34	34	28	35	35	32	28	26
5	लिंग भेदभाव की स्थिति	10	10	18	20	24	22	24	20	22	24
6	महिलाओंमेआधुनिकता का प्रसार	40	26	24	26	22	26	28	26	24	24
7	महिला सशक्तिकरण की स्थिति	51	46	36	36	42	42	46	38	44	36

स्रोत– अध्ययन क्षेत्र का भ्रमण, न्यादर्श सम्पर्क, अवलोकन, उपकरण परिशिष्ट

संकेत: (1) तहसीलों के नाम (*1 छिंदवाड़ा, *2 परासिया, *3 अमरवाड़ा, *4 हर्रई, *5 तामिया, *6 जुन्नासरदेव, *7 चौरई, *8 मोहखेड़, *9 उसरेठ, *10 चाँद)

राज्य सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन सामाजिक संदर्भ में करके तालिका में स्थिति को समाहित किया है। तालिका में सात स्थितियों का उल्लेख है, जिनका स्पष्टीकरण अध्ययन को समझने के लिए आवश्यक है, यथा- सामाजिक प्रतिबंधों के अंतर्गत रीति-रिवाजो, पृथाओं, महिलाओं के प्रति संकुचित सोच में बदलाव को सम्मिलित किया है। इनमें शिथिलता आई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अकेले आने-जाने, रहने, मेल-जोल, पढ़ना, खान-पान, पहनाव आदि को समाहित किया है। सामाजिक निर्णय में महिला की भूमिका में समाज, परिवार का नेतृत्व, दिशा देना, महिला की बात, कार्य, सुझाव को महत्व देना आदि है। जिले की स्थिति मिली जुली है। लिंग भेदभाव भारतीय समाज की भावना पुरुष के प्रति सकारात्मक तथा स्त्री लिंग के प्रति नकारात्मक रही है। लेकिन इसमें महिला के प्रति सकारात्मक सोच में वृद्धि हुई है। महिलायें फैशन और आधुनिकता पसंद होती है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाहन चलाना, मोबाईल, कम्प्यूटर का उपयोग, सार्वजनिक स्थानों, जलपान गृहों, होटलों में खाना, पुरुष मित्र बनाना, उसके साथ घूमना-खाना, पीना आदि का मूल्यांकन किया है। महिला सशक्तिकरण का विकास हुआ है लेकिन वो संतोषप्रद नहीं है। इस पर शिक्षा, शहरीकरण आदि का प्रभाव महसूस किया गया है। कुल मिलाकर मूल्यांकन की स्थिति (सामाजिक प्रतिबंधों के अतिरिक्त) विकास कारक है।

कामकाजी व घरेलू महिलाओं का मूल्यांकन- अध्ययन क्षेत्र में महिला-पुरुषों की भागीदारी लगभग बराबर-बराबर की है। शासन व समाज की मंशा है कि आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं का योगदान होना चाहिए, क्योंकि देश एवं स्वयं (महिला) के विकास हेतु इसकी आवश्यकता एवं अनिवार्यता है। आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला परिवार बोझ नहीं बनती है। काम-काज में संलग्न होना आज की महिला की आर्थिक एवं मानसिक आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र (छिंदवाड़ा जिला) में राज्य सरकार की अनेक योजनायें संचालित की जा रही है, जिनसे महिलाओं को काम-काज के अवसर मिले हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं का शासन की इन योजनाओं से संतुष्टि स्तर का परिदृश्य निम्नवत् है –

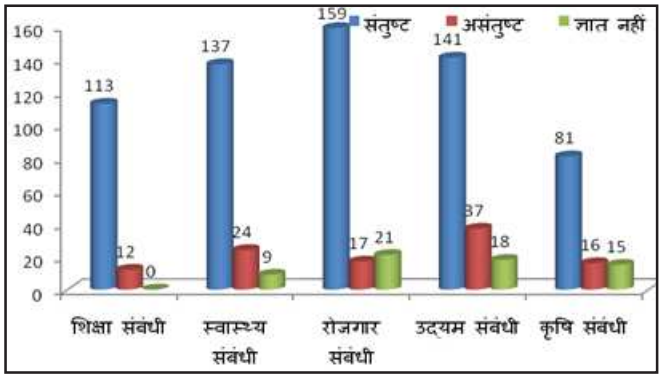
तालिका 5 – घरेलू व कामकाजी महिलाओं का शासन की योजनाओं से संतुष्टि स्तर का मूल्यांकन

(विवरण/संख्या में)

क्रं.	शासन की योजनाएं	संतुष्ट	असंतुष्टय	ज्ञात नहीं	कुल
1.	शिक्षा संबंधी	113	12	0	125
2.	स्वास्थ्य संबंधी	137	24	9	170
3.	रोजगार संबंधी	159	17	21	197
4.	उद्यम संबंधी	141	37	18	196
5.	कृषि संबंधी	81	16	15	112
	योग	631	106	63	800

स्रोत –अध्ययन क्षेत्र का भ्रमण, न्यादर्श सम्पर्क, अवलोकन, उपकरण।

दण्डासरेख



उपरोक्त तालिका एवं दण्ड रेख से ज्ञात होता है कि छिंदवाड़ा जिले की अनुसूचित जाति वर्ग के 800 परिवारों पर किए गए अध्यलयन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग की घरेलू व कामकाजी महिलाओं में से राज्य शासन की शिक्षा संबंधी योजनाओं से 113 महिलायें संतुष्ट हैं, तथा 12 महिलायें असंतुष्टि हैं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की बात करें तो 137 महिलाओं ने माना है कि राज्य शासन की इन योजनाओं से वे संतुष्ट हैं जबकि 24 महिलाओं ने असंतुष्टि जाहिर की है इसी के साथ 9 महिलाओं ने ज्ञात नहीं को चुना है। इसी प्रकार रोजगार संबंधी योजनाओं के नजरिये से देखा जाये तो सर्वाधिक 159 महिलायें पूर्णत: संतुष्ट हैं, किन्तु 17 महिलाओं ने असंतुष्टि प्रदर्शित की है, इसी विषय में भी 21 महिलाओं ने ज्ञात नहीं को चुना है। इसी प्रकार उद्यम संबंधी योजनाओं में 141 महिलाओं ने संतुष्टि प्रदर्शित की है, जबकि 27 असंतुष्टे तथा 18 महिलाओं को ज्ञात नहीं है। राज्यल शासन की कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में भी 81 महिलाओं ने संतुष्टि प्रदर्शित की है जबकि 16 महिलायें असंतुष्टि हैं तथा 15 महिलाओं ने ज्ञात नहीं को माना है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य शासन की संचालित योजनाओं से जिले की 631 महिलायें संतुष्ट हैं किन्तु 106 महिलायें असंतुष्ट हैं तथा 63 महिलाओं को योजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं है।

तालिका 6 – अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में उद्यमिता जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता से उनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन
विवरण प्रतिशत में

आत्मणनिर्भरता का स्तर	उच्च जागरूकता / पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त	मध्यम जागरूकता / आंशिक प्रशिक्षण प्राप्त	कुल योग
आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन	38.42	35.63	74.05
आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं	5.87	8.50	14.37
योग	44.29	44.13	88.42

स्रोत – सर्वेक्षण के माध्यिम से प्रश्नारवली के आधार पर आंकड़े।

$$P = \frac{n_1P_1 + n_2P_2}{n_1 + n_2}$$

$$P = \frac{44.29 \times 74.05 + 44.13 \times 14.37}{74.05 + 14.37} = \frac{3279.6745 + 634.1481}{88.42}$$

$$= \frac{3913.82}{88.42} = 44.26\%$$

अत: $Q = 100 - P = 100 - 44.26 = 55.74$

अनुपात अंतर की प्रमाप त्रुटि –

$$\sigma P_1-P_2 = \sqrt{PQ\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_1}\right)} \quad \sigma P_1-P_2 = \sqrt{44.26 \times 55.74\left(\frac{1}{74.05} + \frac{1}{14.37}\right)}$$

$$\sigma P_1-P_2 = \sqrt{\frac{(44.26 \times 55.74 \times 88.42)}{1064.09}} \quad \sigma P_1-P_2 = \sqrt{\frac{218136.77}{1064.09}}$$

$$\sigma P_1-P_2 = \sqrt{204.99} \qquad \sigma P_1-P_2 = 14.38$$

अत: दो प्रतिशर्तों के अंतर की सार्थकता के लिए टी–अनुपात –

$$t = \left|\frac{P_1-P_2}{\sigma P_1-P_2}\right| \quad t = \left|\frac{44.29-44.13}{14.38}\right| \quad t = |0.011| = 0.011$$

निष्कर्ष – T का परिकलन मान 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तअर पर प्राप्त परिकल्पित मान 2.92 से कम है। अत: प्रदत्ता समंक दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में उच्चतम जागरूकता का स्तर अधिक है तथा समाज में उनके आर्थिक मूल्यांरकन की स्थिति सुदृढ़ है।

समग्र मूल्यांकन के तौर पर कहा जा सकता है कि 'अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में उद्यमिता जागरूकता से उनके शैक्षणिक व सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है'। इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु उद्यमिता एवं व्यवसाय के लिए पारिवारिक सहयोग, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति में पूर्व एवं पश्चात परिवर्तन से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्राप्त परिणामों से ज्ञात हुआ कि 800 उत्तरदाताओं में से 473 (59.13 प्रतिशत) महिलाओं को उद्यमिता एवं व्यवसाय के लिए पारिवारिक सहयोग प्राप्त है। सामाजिक स्थिति के चयनित संकेतकों का पूर्व औसत 29.71 तथा पश्चात का औसत 50.43 पाया गया, जिससे औसत स्तर में 20.72 अंकों की वृद्धि परिलक्षित होती है। अध्ययन क्षेत्र छिंदवाड़ा में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं द्धारा न केवल जिला, प्रदेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनायी जा रही है। इनका प्राय: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास में सहयोग रहा है। उनकी खेलों, राजनीति, तकनीकी, विज्ञान में गहरी पकड़ है। इस प्रमुख उदाहरण छिंदवाड़ा (तामिया) की रहने वाली कु. भावना डेहरिया हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट एवं कोनिया किलोमंजारी दक्षिण अमेरिका की चोटी पर फतह हासिल की है। अत: शासन (भारत सरकार, राज्य सरकार) की अनेक योजनायें महिलाओं की उद्यमशीलता व आत्मअनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहीं हैं, जिससे इस वर्ग की महिलायें प्रगति पथ पर अग्रसर हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. त्रिपाठी लाल, वचन एवं अन्य (1997), मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियाँ, आगरा, हर प्रसाद भार्गव, पृ. 356–385
2. सिंह, डॉ. अमिता (2009), लिंग एवं समाज, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 100
3. कटारे एस.एस. (1950), योजनाओं का मूल्यांकन एवं विश्लेषण, इलाहाबाद, शारदा प्रेस, पृ. 20–125
4. देवी, बाला, आर्टिकल, 'भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति' वैदिक तथा मध्यकाल की स्थिति की तुलनात्मक सामाजिक विवेचना, वर्ष 2018, पृ. 140
5. Paper published www.shabdralam.com, in Vol-III, Issue- 09.
6. शर्मा, श्रीनाथ (2010), जनजातीय समाज शास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
7. सच्चिदानन्द (1977),द हरिजन,इलीट पापुलर प्रकाशन,बाम्बे, पृ.65